राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर–302001
rsrtcedlaw@gmail.com
विधि विभाग फोन न.01412374663

क्रमांकः–मु./एमआईटी/विधि–श्रम/2022/ दिनांकः–

कार्यालय–आदेश

निगम संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 24.8..2020 में प्रस्तुत प्रस्ताव सं0 16/291/2020 पर निगम संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय सं0 47/2020 की पालना में निगम द्वारा आदेश क्रमांक मु./एमआईटी/विधि–श्रम/2020/611 दि0 14.10.2020 जारी किया गया था।

निगम संचालक मण्डल की 299 वीं बैठक दिनांक 25.08.2022 में प्रस्तुत प्रस्ताव सं0 23/299/2022 को निगम संचालक मण्डल के निर्णय सं0 47/2022 द्वारा अनुमोदित किया गया जिसके द्वारा आदेश क्रमांक मु./एमआईटी/विधि–श्रम/2020/611 दि0 14.10.2020 को विड्रा करते हुए नवीन शर्तों के अनुसार लोक अदालत व मुख्यालय स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से न्यायालय प्रकरणों में समझौता किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव में वर्णित विषय–वस्तु से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया।

विभिन्न प्रकृति के न्यायालय प्रकरणों में समझौते की शर्तें निम्न प्रकार हैंः–

1. सेवापृथक्करण (Termination) सम्बन्धी प्रकरण–

जिन प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निगम के विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए श्रमिक को सेवापृथक अवधि के वेतन के एरियर का भी भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है तथा निगम द्वारा प्रकरण में न्यायालय निर्णय के विरूद्ध अपील/रिट याचिका दायर की जा चुकी है अथवा अपील/रिट याचिका दायर करने की कार्यवाही प्रस्तावित है, उन प्रकरणों में यदि सम्बन्धित श्रमिक पिछला सम्पूर्ण वेतन छोड़ने एवं सेवापृथक के समय जिस स्थिति मे नियुक्त था, उसी स्थिति में निगम सेवा में लिये जाने की शर्त पर समझौता करने हेतु सहमत है, तो निगम हित में समझौता किया जा सकता है। इस स्थिति में श्रमिक की सेवापृथक अवधि पेंशन व ग्रेच्युटी हेतु गणना योग्य होगी।

सेवापृथक्करण से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनमें श्रमिक अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुका है/अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने में एक वर्ष से कम समय ही शेष है/श्रमिक की मृत्यु हो चुकी है तथा ऐसे प्रकरणों में न्यायालय द्वारा उपर्युक्तानुसार निर्णय पारित किया गया है तथा निगम द्वारा प्रकरण में अपील/रिट याचिका दायर की जा चुकी है अथवा अपील/रिट याचिका दायर करने की कार्यवाही विचाराधीन है, ऐसे प्रकरणों में राशि 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) तक की एक मुश्त राशि देकर निगम हित में समझौता किया जा सकता है।

2. वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड से संबंधित प्रकरण–

जिन प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निगम के विरूद्ध डिक्री/आदेश पारित करते हुए श्रमिक को एरियर राशि का भी भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है तथा न्यायालय डिक्री/आदेश के विरूद्ध निगम द्वारा अपील/रिट याचिका दायर की जा चुकी है अथवा अपील/रिट याचिका दायर करने की कार्यवाही विचाराधीन है, ऐसे प्रकरणों में यदि श्रमिक एरियर राशि छोड़ने के लिए तैयार है तो वार्षिक वेतन वृद्धि का नोशनल लाभ देते हुये समझौता किया जा सकता है।

3. चयनित वेतनमान (9,18,27) से संबंधित प्रकरण–

जिन प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निगम के विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए श्रमिक को चयनित वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है तथा न्यायालय निर्णय के विरूद्ध निगम द्वारा अपील/रिट याचिका दायर की जा चुकी है अथवा अपील/रिट याचिका दायर करने की कार्यवाही विचाराधीन है, ऐसे प्रकरणों में यदि श्रमिक एरियर राशि छोडने के लिये तैयार है तो उक्त अवधि का नोशनल लाभ देते हुये निगम हित में समझौता किया जा सकता है।

4. स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण–

जिन प्रकरणों में स्थानान्तरण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया है, ऐसे प्रकरणों में निगम द्वारा नये सिरे से स्थानान्तरण आदेश जारी करने की स्वतंत्रता के आधार पर समझौता किया जा सकता है।

(संदीप वर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कंमाकः–मु./एमआईटी/विधि–श्रम/2022/1034 दिनांकः– 27-10-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, रारापपनिगम,मु.जयपुर ।
2. वित्तीय सलाहकार ,रारापपनिगम,मु.जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ——————————————रारापपनिगम,मु.जयपुर।
4. सचिव निगम, रारापपनिगम मु. जयपुर।
5. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबंधक——————————
6. मुख्य प्रबंधक——————————————
7. आदेश पत्रावली।

(उत्तमसिंह)
कार्यकारी निदेशक (विधि)